कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1460/11–सी–FP/UP/Road/156081/2022, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 29 ,2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद सहारनपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा, NH-709B, कि0मी0 चैनेज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (SH-57) वाया अम्बाला रोड, कि0मी0 चैनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125 कि0मी0), 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.8768040 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 493 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/156081/2022)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/42/2023/एफ0सी0/102, दि0–05.08.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक–1605/14–1 दिनांक 28.11.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1460/11–सी FP/UP/Road/156081/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1460/11–सी सी FP/UP/Road/156081/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

पत्रांक 1605 /14–1(**FP/UP/Road/156081/2022**) दिनांक, सहारनपुर 28/11/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– जनपद सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा एन0एच0–709बी किमी0 चैनेज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (एस0एच0–57) वाया अम्बाला रोड किमी0 चनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125 किमी) 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.876804 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 493 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। **Online Proposal no. FP/UP/Road/156081/2022.**

संदर्भ:– उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यायवरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र सं0–08बी/यू0पी0/06/42/2023/एफ0सी0/102, दिनाक 05.08.2024, आपका पत्रांक 11सी–350/एफ0पी0/यू0पी0/रोड/156081/2022, दिनांक 06.08.2024, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर का पत्रांक–254/1C (Camp-II)/2024, दिनाक 30.09.2024 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर का पत्रांक 2316/14–1 दिनांक 20.11.2024

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.11.2024 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.08.2024 द्वारा निर्गत सैद्धन्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गई है, जिसके कम में उक्त सैद्धन्तिक अनुमति दिनांक 05.08.2024 की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:–

Sr.No.	Conditions stipulated in In-principal approval	Compliance
1	Legal Status of the forest land shall remain unchanged	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता दी गयी है। (संलग्नक–1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 5.0 ha. Degraded Forest Land in Barkala Forest Block, Compartment No. 2b, Shakumbhari Range, Shiwalik Range, Shiwalik Forest Division, District Saharanpur at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर द्वारा दी गयी में वचनबद्धता संलग्न हैं। (संलग्नक–2,2ए)
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.0 हे0 रोपण एवं आगामी 10 वर्षो तक रख रखाव से सम्बन्धित वांछित धनराशि 9,68,000/– (रू0 नौ लाख अड़सठ हजार) मात्र, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कैम्पानिधि में जमा कराई गई है। (संलग्नक–2)
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.876804 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित 0.876804 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपी0वी0) की वांछित धनराशि रू0 10,77,233.00 (रू0 दस लाख सत्तर हजार दो सौ तैत्तीस) मात्र, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कैम्पा निधि में जमा करायी गई है। (संलग्नक–3)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है। (संलग्नक–4)

	Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
6	User agency shall restrict the felling of trees to 493 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गई है कि 493/न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा, वृक्षों के पातन पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को किया जायेगा। (संलग्नक–5)
7	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of forest department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी हैं। (संलग्नक–6)
8	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त के अनुपालन में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारी की मान्यता) नियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। (संलग्नक–7)
9	No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वन प्रभाग, सहारनपुर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक–8,9ए)
10	Plantation shall be raised on both side of road and median (if available) by the State Forest department at the cost of user agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गई है कि आई0आर0सी0 एवं MoRTH के दिशा निर्देशों के अनुरूप सड़क के दोनो ओर एवं मीडियन में वृक्षारोपण किया जायेगा, प्लान्टेशन प्लान संलग्न किया गया है। (संलग्नक–9)
11	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया हैं। (संलग्नक–10)
12	The User agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया हैं। (संलग्नक–11)
13	User Agency shall obtained Environment Clearance as per provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्ताव में EIA Notificatio 2006 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक–12)
14	The Layout Plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया हैं। (संलग्नक–13)
15	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्वता दी गई है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। (संलग्नक–14)
16	The user agency shall provide alternate fuel preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी ने इस आशय की वचनबद्धता दी गई है कि वैधानिक श्रोतो से क्रय की गई जलौनी लकडी/अन्य विकल्पिक ईधंन श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक–15)
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गई है कि वन विभाग के निर्देशन में हस्तांतरित होने वाली वन भूमि का सीमांकन कराया जायेगा। (संलग्नक–16)
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of project work.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्वता दी गई है कि वन भूमि में निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु कोई नया मार्ग नही बनाया जाएगा। (संलग्नक–17)
19	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्वता दी गई है कि गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धी परियोजना अवधि या लीज अवधि जो भी कम हो उस अवधि तक ही उक्त भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकार में बनी रहेगी। (संलग्नक–18)

20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गई है कि प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन भूमि का प्रयोग नही किया जाएगा। (संलग्नक–19)
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गई हैं कि हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य विभाग, अन्य यूजर एजेन्सी, या किसी व्यक्ति को बिना भारत सरकार की अनुमति के नही दिया जायेगा। (संलग्नक–20)
22	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक–21)
23	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त के अनुपालन वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (संलग्नक–22)
24	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी गई है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जायेगा। (संलग्नक–23)
25	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गई है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त जो पर्यायवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समय–समय पर प्राविधानित की जायेगी, वह प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मान्य होगी। (संलग्नक–24)
26	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परिवेश पोर्टल से उत्पन्न चालान के माध्यम से कैम्पानिधि में धनराशि जमा करा दी गई है। (संलग्नक–25)
27	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गई है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड करा दी जायेगी। संलग्नक–27

जमा की गई धनराशि का विवरणः–

CA amount as per perposal	RS 9,68,000.00
Ca amount deposited	RS 9,68,000.00
Difference in Amount	-
Reason for difference	-
Additional amount as per proposal	-
Additional amount deposited	-

NPV apunt as per proposal	RS 10,77,233.00
NPV amount deposited	RS 10,77,233.00
Total Amount deposited	RS 20,45,233.00
Reason for difference	-
Any other amount depositer (Complete detyails be)	-
Compa confirmation	Yes paid चालान की छायाप्रति संलग्न है।

अतः विषयाकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–08बी/यू0पी0/06 /42/2023/एफ0सी0/102, दिनाक 05.08.2024 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति की शर्तो की अनुपालन आख्या, प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रमाण पत्र, उक्तानुसार संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक,सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांकः 1605 /14–10 (FP/UP/Road/156081/2022) दिनांकित।

1– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 05.08.2024 की शर्तो की अनुपालन आख्या ऑन लाइन (https://parivesh.nic.in/) अपलोड कराने का कष्ट करें।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक,सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।